करीब 100 सड़कों का लोकार्पण करेंगे महापौर

अयोध्या। मकर संक्रान्ति के बाद नगर निगम की ओर से निर्मित करीब 100 सड़कों का लोकार्पण महापौर ऋषिकेश उपाध्याय की ओर से किया जायेगा। महापौर इस दौरान 20 करोड़ की नयी सड़कों के निर्माण के लिये टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे।

महापौर श्री उपाध्याय ने बताया कि नगर निगम अयोध्या को स्वच्छ और सुन्दर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे यहां का परिवेश विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर सके। नगर निगम की सभी सड़कों को विकसित किया जा रहा है जिससे विकास की परिकल्पना साकार हो सके। नगर निगम बनने के बाद से ही क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गयी थी। विभिन्न आयोजनों के माध्यम से अयोध्या को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। महापौर ने कहा कि अयोध्या के स्वरुप में विकास को लेकर हुए परिवर्तन का असर दिखाई देने लगा है। बीते दिनों में विदेशी सैलानियों की आमद बढ़ी है। केन्द्र व प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में प्रारम्भ से ही अयोध्या है।

ग्राम प्रधान पुत्र के लॉक मोबाइल से अभी कई और राज से उठेगा पर्दा, विशेष तकनीक से अनलॉक करने के लिए भेजा दिल्ली

ठेकेदार ने सिर पर गोली मारकर की थी खुदकुशी

पुलिस का खुलासा

अयोध्या | हिन्दुस्तान संवाद

- आत्महत्या में प्रयुक्त चोरी की रिवाल्वर की विवेचना पुलिस अभी जारी रखेगी
- कौशलपुरी कालोनी स्थित आवास में ग्राम प्रधान के पुत्र की संदिग्ध हालात में हुई थी मौत

बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत करते पुलिस अधीक्षक नगर व सीओ सिटी

कैण्ट थाना क्षेत्र के कौशलपुरी कालोनी स्थित आवास में ग्राम प्रधान के ठेकेदार पुत्र अजय प्रताप सिंह उर्फ सोनू की संदिग्ध हालात में हुई मौत का बुधवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने फारेंसिक व तमाम अन्य जांच रिपोर्ट के साथ जुटाये गये तथ्यों के आधार पर बताया कि ठेकेदार सोनू की हत्या नहीं हुई थी, उसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की थी। अभी सोनू के लॉक मोबाइल में भी कई राज छिपे होने की आशंका के चलते पुलिस ने विशेष तकनीक से अनलॉक करने के लिए दिल्ली भेजा है। फिलहाल घटना में प्रयुक्त चोरी की रिवाल्वर की विवेचना पुलिस अभी जारी रखेगी।

हैदरगंज थाना क्षेत्र के बैंतीकला निवासी राजकुमार सिंह के ठेकेदार पुत्र सोनू सिंह की संदिग्ध हालात में हुई मौत पर से बुधवार को एसपी सिटी अनिल सिंह सिसोदिया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान पर्दा उठा दिया। एसपी सिटी ने बताया कि 22 दिसम्बर 2018 को सोनू सिंह की आवास में संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। घटनास्थल से मिली तारून थाना क्षेत्र के बेलगरा निवासी रामदास वर्मा की चोरी की रिवाल्वर, पांच कारतूस, एक खोखा, शव में से प्राप्त बुलेट, सोनू के मोबाइल व दोनों हाथों का स्वैब को पुलिस ने संग्रहीत करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेजा था। घटनास्थल की परिस्थितियों व साक्ष्यों के अध्ययन के लिए एफएसएल, लखनऊ की विशेष टीम ने सूक्ष्म अवलोकन किया था।

पुलिस टीम ने विवेचना के दौरान जुटाये कई महत्वपूर्ण साक्ष्य

उन्होंने बताया कि एसएसपी जोगेन्द्र कुमार के निर्देश पर घटना के खुलासे के लिए गठित पुलिस टीम ने विवेचना के दौरान मौके की पड़ताल, मृतक की मां, बेटी व पड़ोसियों के बयान, नाका स्थित सिटी लाइफ मॉल से मृतक के घर तक सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन व तमाम लोगों से पूछताछ की थी। एसपी सिटी ने बताया कि गहन पूछताछ में पाया गया कि मृतक सोनू दोपहर तीन बजे शापिंग मॉल से नाका होते हुए कौशलपुरी कालोनी फेज-टू स्थित आवास पहुंचा। आवास पर मोबाइल से दोपहर तीन बजकर 46 मिनट तक एक नंबर पर वार्ता की। थोड़ी देर बाद घर पहुंची मृतक की मां व बेटी ने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। बेटी ने स्वंय उंगली से दरवाजा खोलकर अंदर आना बताया और देखा कि उसके पिता के सिर से खून निकल रहा है। उसने चिल्लाते हुए पड़ोसियों से मदद मांगी। पड़ोसियों की मदद से मृतक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से पुलिस को घटना के बारे में सूचना मिली।

सोनू के घर में बाहर से किसी और के आने की नहीं हो सकी पुष्टि

एसपी सिटी ने बताया कि घटना के समय बाहर से किसी अज्ञात व्यक्तियों के आने एवं घटना के बाद भागने की आसपास के लोगों ने पूछताछ में पुष्टि नहीं की। इसके अलावा घटनास्थल पर संघर्ष के कोई लक्षण नहीं पाए गए तथा घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने बताया कि मृतक के हाथों पर ब्लैक स्पॉट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंजरी के आसपास ब्लैकनिंग, टाकअइंग, बर्निंग होने से फायरिंग करीब से होने की संदेहास्पद स्थिति को देखते हुए घटनास्थल की फोटोग्राफी, वीडियो क्लिप व पीएम रिपोर्ट को स्टेट मेडिकोलीगल सेल, ऐशबाग, लखनऊ भेजा गया था।

स्टेट मेडिकोलीगल सेल के विशेषज्ञ की राय बनी आधार

एसपी सिटी श्री सिसोदिया ने बताया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए प्रदर्शों के परीक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि मृतक के दोनों हाथों के ब्लैक स्पॉट पर बारूद के अंश पाए गए तथा गोली रिवाल्वर से चलना पाया गया। उन्होंने बताया कि स्टेट मेडिकोलीगल सेल से विशेषज्ञ की राय में भी फायर आर्म्स एंजरी स्वयं से गोली मारना पाया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक की ओर से स्वयं से गोली मारकर खुदकुशी की गई है। उन्होंने बताया कि आत्महत्या की परिस्थितियों एवं कारणों को जानने के लिए गहन साक्ष्य जुटाने के लिए मृतक के लॉक मोबाइल को वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए भेजा गया है। बरामद रिवाल्वर के चोरी की होने व घटनास्थल तक पहुंचने के संबंध में विवेचना जारी है। इस दौरान सीओ सिटी धनंजय कुशवाहा व कैण्ट थानाध्यक्ष आरके सिंह राणा भी मौजूद रहे।

'हिन्दुस्तान' ने 13 दिन पहले कर दिया था खुलासा

अयोध्या। बीकापुर के हैदरगंज क्षेत्र स्थित बैंतीकला की ग्राम प्रधान शीला सिंह के ठेकेदार पुत्र अजय प्रताप सिंह सोनू की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के प्रकरण में खुद को गोली मारकर खुदकुशी किए जाने का खुलासा 'हिन्दुस्तान' ने 13 दिन पहले ही कर दिया था। बुधवार को एसपी सिटी की प्रेस कांफ्रेंस ने इस खुलासे पर अपनी मुहर लगा दी। पुलिस की प्रारम्भिक जांच और ठेकेदार की महिला मित्र समेत हिरासत में लिए गए कुछ अन्य से पूछताछ में सबकुछ स्पष्ट हो गया था।

भाजपा विधायक खब्बू को पुलिस ने दी क्लीन चिट

अयोध्या। ठेकेदार सोनू सिंह की संदिग्ध हालात में हुई मौत के प्रकरण में गोसाईगंज के भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। इस मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर श्री तिवारी के खिलाफ हत्या कराने के आरोप में कैण्ट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन बुधवार को घटना के खुलासे के बाद विधायक श्री तिवारी पर लगे आरोप बेबुनियाद साबित हुए। एसपी सिटी अनिल सिंह सिसोदिया ने बताया कि जांच में विधायक की किसी प्रकार की संलिप्तता नहीं पाई गई है। ऐसे में अब यह मुकदमा स्पंज किया जा सकता है।

अधिवक्ता पर हमले का केस दर्ज, एक गिरफ्तार

अयोध्या | विधि संवाद

मांगी सुरक्षा

- सहादतगंज में भतीजे की मोटरसाइकिल की थी क्षतिग्रस्त
- रिवाल्वर दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप

कैंट क्षेत्र के सहादतगंज में अधिवक्ता प्रमोद सिंह के भतीजे की मोटरसाइकिल पर टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त करने एवं विरोध करने पर नशे में धुत दबंगों की ओर से रिवाल्वर दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का प्रकरण प्रकाश में आया है। इस प्रकरण में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है।

दंबगों की धमकी से दहशतजदा अधिवक्ता ने बार एसोसिएशन के दफ्तर में डेढ़ सौ अधिवक्ताओं से हस्ताक्षरित प्रस्ताव देकर परिवार की सुरक्षा की मांग की है। इस प्रकरण में पुलिस ने नामजद हमलावरों के खिलाफ मुदकमा दर्ज कर एक आरोपित प्रमोद सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में बार एसोसिएशन अध्यक्ष अरविन्द कुमार सिंह ने कहा कि नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए एसपी सिटी अनिल सिंह सिसोदिया से वार्ता हुई है।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक नगर ने नामजद किए गए अन्य आरोपितों की भी जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। दूसरी तरफ पीड़ित अधिवक्ता ने आरोप लगाते हुए बताया कि एक जनवरी की रात 10 बजे संदीप सिंह नामक व्यक्ति नशे की हालत में कार चलाते हुए उनके घर के पास आए। इसके बाद घर के बाहर खड़ी उनके भतीजे की मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दिया। आवाज सुनकर जब वह बाहर आए और आरोपी से पूछा कि बाइक क्यों तोड़ दिया तब उसने उन पर रिवाल्वर तान दिया और जान से मारने की धमकी दिया। आरोप है कि इसके आधे घंटे के बाद संदीप सिंह, ऋषभ सिंह, अजय सिंह, प्रमोद सिंह व अतुल सिंह आदि लाठी- डण्डा से लैस होकर धमकी देते हुए फायरिंग करने लगे। इससे घरों के दरवाजे व खिड़कियों के साथ दीवार पर छेद हो गए।

580 बच्चों का किया रूबेला टीकाकरण

जाना बाजार। विकासखंड तारुन के अंतर्गत एसए इंटर कालेज खपराडीह में अभियान के तहत 580 बच्चों को रूबेला का टीका लगाया गया। कालेज के प्रधानाचार्य शमशेर सिंह ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारुन के अधीक्षक डॉ. वेद प्रकाश त्रिपाठी के निर्देशन में एएनएम शैल सिंह व नीलम सिंह ने नौ माह से 15 वर्ष की आयु के बालक व बालिकाओं को खसरा और रूबेला से बचाव के लिए टीके लगाये।

सीएचसी तारुन के प्रतिरक्षण अधिकारी श्रीराम तिवारी ने बताया कि कालेज में 600 बालक व बालिकाओं को रूबैला का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें 580 को टीका लगाया जा चुका है। डॉ. वेद प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि सरकार की ओर से चलाए गए अभियान के तहत ब्लाक स्तर पर 2200 बालक-बालिकाओं को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 82 प्रतिशत बालक-बालिकाओं को टीका लग चुका है।

कार्यकारिणी से बाहर हुए छह सदस्य

अयोध्या नगर निगम

अयोध्या | हिन्दुस्तान संवाद

- छंटनी में भाजपा के चार व सपा का एक सदस्य शामिल
- रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 16 जनवरी को होगा चुनाव

अयोध्या नगर निगम की 12 सदस्यीय कार्यकारिणी के छह सदस्यों की बुधवार को छंटनी हो गई। यह छंटनी लाटरी के जरिए की गई। छंटनी के लिए कार्यकारिणी के सभी 12 सदस्यों के नामों की पर्ची डाली गई थी। इन पर्चियों को महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने एक-एक कर निकाला और फिर नगर आयुक्त आरएस गुप्त ने पढ़कर सुनाया। अफसर अपनी ही मनमानी कर रहे हैं और जनहित के कार्यों की उनकी कोई प्राथमिकता नहीं है। इसके कारण आए दिन सिर फुटौव्वल की ही स्थिति पैदा होती है।

ऐसे में दूसरे सदस्यों को अवसर मिले और वह भी समझें कि कार्यकारिणी की स्थिति क्या है। मालूम हो कि पुजारी श्री दास ने बड़ा स्थान के पास 42 लाख की लागत से हो रहे नाली निर्माण कार्य में अनियमितता के प्रकरण पर अधिकारियों को संज्ञानित किया था लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं श्री मिश्र और अधिशासी अभियंता के बीच ही विवाद हो चुका है। उधर भाजपा के अन्य पार्षदों में अनिल सिंह एवं राजेश गौड़ भी बाहर हो गए। इसके अलावा सपा के अजय पाण्डेय एवं निर्दल पार्षद सलमान हैदर भी कार्यकारिणी से बाहर हो गए। बताया गया कि 12 सदस्यीय कार्यकारिणी में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 16 जनवरी को चुनाव होगा। यह चुनाव निर्वाचित सदस्यों के बोर्ड की ओर से किया जाएगा। मालूम हो कि कार्यकारिणी के सदस्यों का कार्यकाल उनके निर्वाचन से दो वर्ष है। इसके चलते शेष छह सदस्य अगले वर्ष स्वतः कार्यकारिणी से मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद पुनः शेष सदस्यों का चुनाव निर्धारित रीति से किया जाएगा। अपर आयुक्त एसएन सिंह के अनुसार बोर्ड की बैठक में यदि आम सहमति से सदस्यों का निर्वाचन हो जाएगा तो ठीक है। अन्यथा उनका चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति से कराया जाएगा। महापौर श्री उपाध्याय ने बताया कि सदस्यों के चयन के विषय में पार्टी स्तर पर निर्णय लिया जाएगा।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank Of Baroda

अंचल दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, इलाहाबाद
19–ए, द्वारिका भवन, प्रथम तल, टैगोर टाउन, इलाहाबाद
मो. सं. – 9554951670,7984127855

ई–नीलामी सूचना

जबकि, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण ओर वित्तीय आस्तियों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (SARFAESI ACT 2002) (54 OF 2002) की धारा 13(12) के नियम 8 व 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणियों को नोटिस जारी की गई थी तथा बन्धक सम्पत्तियों पर सांकेतिक कब्जा भी लिया गया है। इस सूचना के द्वारा सार्वजनिक रूप से जनसामान्य व ऋणी/बंधककर्ता को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित मामलों में बकाया धनराशि की वसूली हेतु नीचे दर्शायी गई सम्पत्तियों की बिकी प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के निम्नलिखित विवरणानुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के ऋण खाते में बन्धक रखी हुई सम्पत्तियों की नीलामी **''जहाँ है जैसी है तथा जो है जैसी है के आधार पर''** ई–नीलामी हेतु ऑनलाइन से प्राप्त टेण्डरों में से सर्वाधिक राशि के टेण्डरों के पक्ष में की जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त अधिनियम के नियम 8 के उपनियम 5 एवं 6 के अंतर्गत निर्धारित तिथि स्थान और समय पर ई–नीलामी के लिये प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है।

अंतिम तिथि EMD/Document जमा करने के लिए 29.01.2019 सांय 04:00 बजे तक है।

क्र. सं.	खातेदारों/जमानतदारों का नाम एवं पता मांग सूचना/कब्जा सूचना की तिथि/बकाया धनराशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण	निर्धारित आरक्षित मूल्य/अग्रिम धनराशि (रू.)
1-	(1) **ऋणी: मेसर्स** श्रद्धा फूड प्रोडक्ट, पताः ग्राम बरायपारा पोस्ट, माया बाजार, जिला-फैजाबाद, पिन-224161 **स्वामीः** श्री हरिश चन्द्र सिंह पुत्र स्व. राज बहादुर सिंह, स्वामी मेसर्स श्रद्धा फूड प्रोडक्ट ग्राम बरायपारा, पोस्ट- माया बाजार, जिला-फैजाबाद पिन-224161 **जमानतकर्ताः** (1) श्रीमती नीलम सिंह पत्नी श्री हरिश चन्द्र सिंह पताः ग्राम बरायपारा, पोस्ट- माया बाजार, जिला-फैजाबाद पिन-224161 (2) श्रीमती नीलम गोस्वामी पत्नी श्री उमाकांत गोस्वामी पताः मकान सं. 5/5/16डी, जलपा कॉलोनी, उदय पब्लिक स्कूल के पास, फैजाबाद-224001 **मांग सूचना की तिथिः 16.03.2016, कब्जा की तिथि : 19.05.2016, कुल बकाया राशिः रू. 2,20,71,556/-** + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 11.09.2015 से प्रभावी, (मांग सूचना जारी होने के बाद ऋणी द्वारा जमा की गई राशि को घटाकर) (मूल शाखा नाका मुजफ्फरा, फैजाबाद)	(1) भूमि एवं भवन जोकि प्लाट संख्या 318 मी क्षेत्रफल 740 वर्गमीटर ग्राम बरायपारा परगना-अमसिन, तहसील-सदर, जिला-फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह श्री हरिश चन्द्र सिंह के नाम से स्थित है। (सेल डीड संख्या 5815, बही संख्या 1, जिल्द संख्या 3649, पृष्ठ संख्या 365 से 412 फैजाबाद के रजिस्ट्रार के कार्यालय में दिनांक 15.12.2009 को पंजीकृत है) सम्पत्ति पर भौतिक कब्जा बैंक के पास है। **चौहद्दी : पूरब :** परमेश्वर पासी का खेत), **पश्चिम :** रास्ता खड़ंजा 16 फिट, **उत्तर :** जयंत सिंह एवं अन्य का खेत, **दक्षिण :** श्रीमती रेखा सिंह एवं अन्य का खेत।	रू. 36,79,200/- रू. 3,68,000/-
	(2) आवासीय भूमि एवं भवन मकान संख्या 66 ए, क्षेत्रफल 418.20 वर्गमीटर जोकि ग्राम बरायपारा, परगना- अमसिन, तहसील- सदर, जिला- फैजाबाद,उत्तर प्रदेश में श्रीमती नीलम सिंह पत्नी श्री हरिश चन्द्र सिंह के नाम से स्थित है। (अधिग्रहित डीड संख्या 2958/01, बही संख्या 1, जिल्द संख्या 2156, पृष्ठ संख्या 283 से 300, फैजाबाद के रजिस्ट्रार के कार्यालय में दिनांक 03.10.2001 को पंजीकृत है) **चौहद्दी : पूरब :** श्रीमती निर्मला देवी का मकान, **पश्चिम :** श्रीमती रेखा सिंह का मकान, **उत्तर :** छोटे लाल हरिजन का मकान, **दक्षिण :** फैजाबाद-अकबरपुर रोड।	रू. 17,83,800/- रू. 1,79,000/-
	(3) मेसर्स श्रद्धा फूड प्रोडक्ट्स के राईस मिल से सम्बन्धित प्लांट एवं मशीनरी जोकि उपरोक्त क्रम सं. 1 में दर्शाये गये पते पर स्थित है, भुगतान का तरीकाः सभी आवेदको (सम्भावित बोलीकर्ता) द्वारा आरक्षित मूल्य का 10 % धरोहर राशि के रुप में एवं नीलामी के दिन सफल बोलीदाता द्वारा बिड राशि का 25 प्रतिशत +18 % GST (पूर्व में जमा किये गये धरोहर राशि को घटा कर) जमा करना होगा तथा बिक्री की पुष्टि के बाद नीलामी का शेष 75 % राशि 18 % GST सहित ई-नीलामी के 15 दिन के अन्दर जमा करनो होगा। सेल डीड सं. 5815 बही सं. 1 जिल्द सं. 3649, पृष्ट सं. 365 से 412 दिनांक 15.12.2009 को फैजाबाद के रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत है। **चौहद्दी : पूरब :** परमेश्वर पासी का खेत, **पश्चिम : रास्ता** खड़जा 16 फिट, **उत्तर :** जयंत सिंह एवं अन्य का खेत, **दक्षिण :** श्रीमती रेखा सिंह एवं अन्य का खेत।	रू. 42,58,000/- रू. 4,26,000/-

EMD/BID जमा करने के लिए नो लिएन एकाउण्ट बैंक ऑफ बड़ौदा, ए.आर.एम.बी. इलाहाबाद खाता सं. 00640200000494 IFSC Code BARB0ALLAHA (कृपया 0 को ''शून्य'' पढ़ा जाय) ई–नीलामी की तिथि एवं समय – 30.01.2019 प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक।

नियम व शर्तें :– (1) यह ई–नीलामी भौतिक/सांकेतिक कब्जे के आधार पर ''जहाँ है, जैसी है तथा जो है, जैसी है के आधार पर'' वेबसाइट: https://bob.auctiontiger.net के माध्यम से हो रही है एवं क्रेता वैधानिक देयताओं एवं **ऋणभार का का पता** स्वयं कर ले, यदि कोई हो। (2) प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं विश्वास तक नीलामी की जा रही सम्पत्तियां भारमुक्त हैं फिर भी इच्छुक निविदाकर्ता को चाहिए कि ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्वतंत्र रूप से सभी भार टाइटिल क्लेम आदि की स्वयं जांच कर लें। सभी सम्पत्तियां सभी वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञात अथवा अज्ञात भारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय/अन्य पक्षकार के क्लेम अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। (3) यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्तियों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें, व दिनांक 28.01.2019 तक 11.00 बजे सायं तक निरीक्षण कर सकते हैं। सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए निविदाकर्ता मुख्य शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, इलाहाबाद से मोबाइल संख्या 9554951670 व 7984127855 पर संपर्क कर सकते हैं। (4) इच्छुक निविदाकर्ता यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड https://bob.auctiontiger.net पर लॉगिन करके निःशुल्क प्राप्त कर सकते है। EMD का भुगतान NEFT/RTGS/BC/DD या अंतरण के द्वारा उपरोक्त दिये हुए खाता सं. में होगा अथवा बैंकर्स चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि ''प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बडौदा'' के पक्ष में इलाहाबाद में देय हो, द्वारा भी किया जा सकता है। (5) वेबपोर्टल में पंजीकरण के पश्चात इच्छुक निविदाकर्ता निम्नलिखित दस्तावेजों निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व वेब पोर्टल में अपलोड कर लें। (I) NEFT/RTGS/BANKERS CHEQUES/ डिमांड ड्राफ्ट की प्रति या खाते में अंतरित की गयी धनराशि की रसीद (II) पैन कार्ड की प्रति (III) आईडी प्रूफ (KYC) जैसे – स्वयं सत्यापित वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/पासपोर्ट आदि (iv) पते के प्रमाण की कापी, जिसके बिना बिड निरस्त की जा सकती है। (6) इच्छुक निविदाकर्ता लॉगिन आईडी,पासवर्ड, डाटा अपलोडिंग, निविदा प्रेषण ई–बिडिंग की ट्रेनिंग या अन्य सहायता हेतु **मेसर्स ई–प्रक्योरमेन्ट टेक्नालॉजीस लिमिटेड, हेल्पलाइन नं. 91–6352490773, राम प्रसाद शर्मा मो. 08000023297 एवं श्री विजय शेट्टी मो. 9619002431/9619120214, ईमेल आईडी: support@auctiontiger.net, ramprasad@ auctiontiger.net, vijay.shetty@auctiontiger.net** एवं **bob.auctiontiger.net** (7) ई– नीलामी प्राक्रिया में केवल वैध यूजर आईडी, पासवर्ड धारक निविदाकर्ता ही **https://bob.auctiontiger.net** के माध्यम से भाग ले सकेंगे। (8) केवल वही इच्छुक निविदाकर्ता जिन्होंने EMD का भुगतान दिनांक **29.01.2019** सायं 4.00 बजे तक कर दिया है, ही ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग ले पायेंगे, ई– नीलामी प्राक्रिया का समय एवं तिथि जो उपरोक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति विशेष के आगे लिखी है, के अनुसार सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं के मध्य होगी। **निविदाकर्ता निविदा की राशि रू. 25,000/– के खण्ड में ही बढ़ायेंगे।** यदि कोई बोली समयावधि पूर्ण होने के अन्तिम 5 मिनट में आती है तो ई–नीलामी का समय स्वतः ही 5 मिनट बढ़ जायेगा। उच्चतम बोली (आरक्षित मूल्य से ऊपर) लगाने वाले को प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से, सफल बोलीकर्ता घोषित किया जायेगा। जिसकी जानकारी उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रानिक मोड से उनके ई–मेल आई.डी. में दी जायेगी। (9) सफल बोलीकर्ता की **EMD** राशि बैंक के पास ही रहेगी तथा सभी असफल नीलामीकर्ता की राशि बैंक द्वारा बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत **EMD** राशि के समायोजन सहित उसी दिन तुरन्त जमा करना होगा। शेष धनराशि उसे 15 दिन के अन्दर या उसके पूर्व या पक्षो के बीच लिखित रूप से बढायी गयी समय सीमा के अन्दर जमा करना होगा। सफल बोलीकर्ता द्वारा भुगतान में असफल रहने की स्थिति में उसके द्वारा जमा राशि जब्त कर ली जायेगी। (10) इच्छुक व वेध निविदाकर्ता– **मेसर्स ई–प्रक्योरमेन्ट टेक्नालॉजीस लिमिटेड** में नीलामी की तिथि से पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। (11) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली को भी स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी बोली को स्वीकार /निरस्त करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी को ही होगा। अन्तिम समय में बोली लगाने से बचना बोलीकर्ताओं के हित में है। क्रेता की ओर से न तो बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी भी असफलता/चूक (बिजली की विफलता, इन्टरनेट विफलता आदि) के लिए जिम्मेदार होगें। ऐसी स्थिति को रोकने के लिये बोली लगाने वालों से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी आवश्यक/वैकल्पिक व्यवस्था जैसे कि बिजली बैकअप आपूर्ति की व्यवस्था करें जिससे कि वे ऐसे किसी अप्रिय घटना/स्थिति को रोक सकें एवं सफलता पूर्वक नीलामी में भाग ले सकें। प्रमाणन प्राधिकरण (सीसीए) के नियंत्रक द्वारा जारी नए अंतकार्यकारी दिशार्निदेशो के अनुसार ई– उपार्जन आवेदन के लिए सुरक्षित सर्कट लेयर (एसएसएल) प्रमाण पत्र एक नई एल्गोरिथ्म SHA2 पर उत्पन्न होता हे। डिजिटल सर्टिफिकेट जो कि इन प्लेटफार्मो के लिये लागू होगा SHA2 एल्गोरिथ्म के अनुरूप होने की जरूरत है। उसके लिये उपयोगकर्ताओ को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि Windows XP (SP3) है/विंडोज विस्टा/विंडोज 7 अपने सम्बन्धित पीसी/लैपटॉप में स्थापित करे। Windows XP (SP3) सर्विस पैक –3 के मामले में यदि कोई दिक्कत हो तो आप एसएसएल पैच स्थापित कर सकते हैं जो कि ई–नीलामी पोर्टल के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध है। (12) निविदाकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व विस्तृत नियम व शर्तो की जानकारी **मेसर्स ई–प्रक्योरमेन्ट टेक्नालॉजीस लिमिटेड** के वेब पोर्टल **https://bob.auctiontiger.net** से प्राप्त कर लें। (13) अंतिम तिथि: EMD/Document जमा करने के लिए **29.01.2019** सांय **04:00** बजे तक है।

दिनांक : 10.01.2019 स्थानः इलाहाबाद **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा**

सभी राजनीतिक दल जल्द बनाएं बीएलए : मिश्र

बोले कमिश्नर

अयोध्या | निज संवाददाता

बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में मौजूद कमिश्नर, डीएम व अन्य

मण्डलायुक्त मनोज मिश्र की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस बैठक में जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अनिल कुमार व सभी उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी मौजूद रहे।

बैठक में मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन पुनः किये जाने के उपरान्त वर्षा, बाढ़ तथा अन्य किसी कारण से क्षतिग्रस्त हुए मतदेय स्थलों, यदि कोई हो, में परिवर्तन के लिए संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा की गयी। इसी के साथ 25 जनवरी को आयोजित होने वाले नौवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस को सफल बनाने पर भी विचार- विमर्श हुआ। जिले के समस्त मतदान केन्द्रों पर चल रहे ईवीएम/वीवीपैट जागरूकता अभियान आदि में राजनितिक दलों के सहयोग पर चर्चा हुई। बैठक में मण्डलायुक्त ने कहा कि सभी राजनितिक दल आगामी निर्वाचन के लिए बीएलए की नियुक्ति कर सूची उपलब्ध करा दें। उन्होंने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सभी राजनितिक दलों को लोगो को जागरूक करने को कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी को इसलिए रखा गया है क्योकि गणतंत्र का आधार मतदाता है। इसी दिन 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। उन्होंने कहा कि निर्वाचन में प्रथम बार वीवी पैट का इस्तेमाल होने जा रहा है। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक तहसील में 15-15 ईवीएम/वीवी पैट लोगों को प्रत्येक बूथ पर जागरूक करने के लिए दिया है।

उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को किस तिथि पर किस बूथ पर जागरूकता कैम्प लगाना है, इसका कैलेन्डर राजनीतिक दलों के लोगो तथा सभी ब्लॉक, तहसील, कलेक्ट्रेट व अन्य प्रमुख स्थलों पर चस्पा करने के निर्देश दिये। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 24 जनवरी को जनपद स्तर पर मानव श्रृंखला बनायी जायेगी। 25 जनवरी को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली जायेगी।

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

कब्जा नोटिस
(अचल सम्पत्ति हेतु)
अधिनियम-नियम-8 (1) के अन्तर्गत परिशिष्ट

यद्यपि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नसरचंना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने विभिन्न बकायेदार ऋणी एवं जमानतकर्ता को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर अदा करने हेतु मांग नोटिस जारी की थी। ऋणी एवं जमानतकर्ता के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतदद्वारा आम जनता को एवं ऋणी एवं जमानतकर्ता को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का अधिपत्य उपरोक्त अधिनियम की 13(4) एवं नियमों के उपनियम 8 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वार